>

Title: Regarding payment of money to beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin in Chhattisgarh.

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): अंत्योदय की चिंता की भावना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने फैसलों में किया है, किन्तु विगत कुछ माह से “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों को भुगतान में देरी हो रही है जिससे आवासों के निर्माण में कठिनाई हो रही है ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में हितग्राहियों को चार किस्तों में कुल 1,30,000/- रु0 की राशि सीधा उनके खाते में दिये जाने का प्रावधान है परंतु छत्तीसगढ़ के विभिन्न आदेशों के उपरांत हितग्राहियों को उनके किस्तों को प्राप्त करने हेतु बैंक एवं जनपद पंचायत कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय (हुर्दखदान) का आदेश दिनांक 2/5/19 क्रमांक 994 के अनुसार हितग्राही अपना स्वयं का पैसा नगद आहरण नहीं कर सकते। चूंकि उक्त आदेशानुसार मटीरियल सप्लायर को भुगतान किये जाने का आदेश सभी बैंकों को दिया गया है जो विधि विपरीत है एवं इससे हितग्राहियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए बताना चाहता हूं कि “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु प्राप्त राशि को सीधे हितग्राहियों के खाते से स्वयं आहरण की सुविधा प्रदान किये जाने का आदेश जारी करने हेतु संबंधित को आदेशित करें ।